उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 95/2015/288/71-1-2015-जी-258/2009
लखनऊ : दिनांक 10 अप्रैल, 2015
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2015/98, दिनॉक 03-02-2015 में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय डा0 राजेन्द्र चौधरी, सहआचार्य, मेडिसिन विभाग, मेडिकल कालेज, गोरखपुर, जो पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारी है एवं सम्प्रति सेवा स्थानान्तरण के आधार पर मेडिकल कालेज, गोरखपुर में कार्यरत है, को सहआचार्य के पद पर दिनॉक 29-10-2013 को 04 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के पश्चात् उनकी विशिष्टता में आचार्य के रूप में पदनामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस संबंध में अधोहस्ताक्षरित को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार पदनामित किए जाने के फलस्वरूप भी डा0 राजेन्द्र चौधरी को वही वेतन प्राप्त होगा, जो उन्हें अपने विभाग में प्राप्त हो रहा है। डा0 चौधरी को पदनामित करने के उपरान्त चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव

संख्या:- 95/2015/288(1)/71-1-2015- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
8- चिकित्सा अनुभाग-3
9- संबंधित चिकित्सा शिक्षक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।